भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/22/20014/एफ.सी./364

दिनॉक: 15/7/15

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, अरण्य भवन,
17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : 800 के0वी0 एच0वी0डी0सी0 चम्पा कुरूक्षेत्र पारेषण लाईन के निर्माण हेतु मेरठ में 0.9524 हे0, हापुड़ में 0.1176 हे0, मुजफ्फरनगर में 0.3864 हे0 एवं शामली में 0.3036 हे0 कुल 1.76 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 549 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2293/चम्पा–कुरूक्षेत्र (समेकित), दिनॉक– 17.06.15

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–1798/11–सी–मुजफ्फरनगर –127, दिनॉक– 26.02.2014 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

उपरोक्त 04 जिलों के प्रस्तावों को समेकित किया गया है जिसका सारांश निम्नवत् है: –

क्रम संख्या	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम	प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि (हे0 में)	पातन होने वाले वृक्षों की संख्या
1	मेरठ	मेरठ वन प्रभाग	0.9524 हे0	431
2	हापुड़	हापुड़ वन प्रभाग	0.1176 हे0,	38
3	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर वन प्रभाग	0.3864 हे0	28
	शामली	शामली वन प्रभाग	0.3036 हे0	52
योग			1.76 हे0	549

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 10.04.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, लखनऊ उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार 800 के0वी0 एच0वी0डी0सी0 चम्पा कुरूक्षेत्र पारेषण लाईन के निर्माण हेतु मेरठ में 0.9524 हे0, हापुड़ में 0.1176 हे0, मुजफ्फरनगर में 0.3864 हे0 एवं शामली में 0.3036 हे0 कुल 1.76 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 549 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कुल प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 3.52 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए थासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।

15/7/15

सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ जमा की जाने वाली सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– एस0बी0–25230 कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण एवं जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट / चेक / आर0टी0जी0एस0 / एन0एफ0टी, जो भी लागू हो, की छायाप्रति सहित) प्रेषित की जाएगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

6. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं कर दिए जाते हैं।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक, आर0ओ0एच0क्यू0, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, 6वां तल,बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ वन प्रभाग, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़, उत्तर प्रदेश।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, मुजफ्फरनगर वन प्रभाग, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य प्रबन्धक, 765 / 400 / 220 के0वी0 उपकेन्द्र, पावर ग्रिड कार्पो0 लि0, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
9. श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
10. आदेश पत्रावली ।

15/7/15
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)